"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014—भाद्र 3, शक 1936

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-188/गृह-सी/2014.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-28क के प्रावधान के अनुसरण में तथा भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 434/1/ESO26/94 MCS, दिनांक 24-10-1994 में अन्तर्विष्ट निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ विधानसभा 79-अन्तागढ़, उप चुनाव, 2014 के संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा, पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त, 2014 से प्रारंभ होकर एवं ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किये जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे और ऐसे पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक एफ-4-188/गृह-सी/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 25-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 25th August 2014

NOTIFICATION

No. F-4-188/Home-c/2014.— In pursuance of the provision of Section 28-A of the Representation of the People Act, 1951 (No. 43 of 1951) and in view of the directions contained in the Election Commission of India's Order No. 434/1/ESO26/94 MCS, dated 24-10-1994, all Police Officers designated by the State Government for the conduct of Bye-Elections, 2014 to the 79-Antagarh Chhattisgarh Legislative Assembly, shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from 18th August, 2014, the date of notification of calling for such election and ending with the date of declaration of the result of such election and such Police Officers shall be subject to control, superintendence and discipline of the Election Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.